

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-1/एम-1-1037/2017- 715 पटना/दिनांक- 01.11.17

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत श्री अभय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (असैनिक), उप निदेशक (मूल्यांकन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं०-575, दिनांक-26.09.2014 (क्रमांक-40 पर नामित) द्वारा एम०ए०सी०पी० नियमावली के नियम-26 के आलोक में दिनांक-01.04.2009 के प्रभाव से ग्रेड वेतन-6600/- में स्वीकृत द्वितीय एम०ए०सी०पी० को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक-21.06.2017 के आलोक में एतदसह रद्द करते हुए श्री अभय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक) को वित्त विभागीय संकल्प सं०-630, दिनांक-21.01.2010, संशोधित संकल्प सं०-2110, दिनांक-26.02.2010 एवं वित्त विभागीय पत्र ज्ञापांक-3623, दिनांक-31.03.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्तम्भ-05 में अंकित तिथि से पी०बी०-2 + ग्रेड वेतन-5400/- से पी०बी०-3 + ग्रेड वेतन-5400/- में निम्न प्रकार से वेतन उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कनी० अभि० के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	सहा० अभि० के पद पर प्रोन्नति की तिथि	सहा० अभि० के पद पर चार वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि	सहा० अभि० के पद पर सेवा संपुष्टि की तिथि	उत्क्रमित पे बैंड-3 तथा ग्रेड पे- 5400/- में वेतन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4	5
07.03.1991	01.04.1999	01.04.2003	01.07.2003	01.01.2006


(2) वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5153-वि०, दिनांक-21.05.2013 के अनुसार यह एक वित्तीय उत्क्रमण माना जायेगा तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।

(3) विभागीय अधिसूचना सं०-575, दिनांक-26.09.2014 द्वारा श्री सिंह को दिनांक-01.04.2009 के प्रभाव से ग्रेड वेतन-6600/- में स्वीकृत द्वितीय एम०ए०सी०पी० के आलोक में श्री सिंह द्वारा यदि राशि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसकी एक मुस्त वसूली/समायोजन कर ली जाय।

(4) भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त वेतन उत्क्रमण के लाभ से संबंधित इस आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की एकमुस्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

(5) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

✓ 
(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-1/एम०-1-1037/2017


पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 
(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-1/एम0-1-1037/2017 7/16 पटना, दिनांक- 01.11.17


प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/श्री अभय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), उप निदेशक (मूल्यांकन) /उप निदेशक (मू0)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/विभागीय आईटी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक-1/एम0-1-1037/2017 7/16 पटना, दिनांक- 01.11.17

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

